संख्या– 1/3/96– का–4– 2003

प्रेषक,

भुइयाँदीन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग–4, लखनऊ : दिनाँक : जून 24 ,2003

विषय:– सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनाँक 12 मई,2003 के क्रम में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:–

(1) समसंख्यक शासनादेश दिनाँक 21–4–2001 एवं दिनाँक 12–5–2003 के प्राविधानों से आच्छादित होने वाले समस्त स्थानान्तरण विलम्बतम दिनाँक 30 जून,2003 तक पूर्ण कर लिये जाँय ।

(2) अपरिहार्य परिस्थितियों में दिनाँक 30 जून,2003 के उपरान्त किये जाने वाले स्थानान्तरणों में शासनादेश दिनाँक 21–4–2001 के प्रस्तर–6 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय ।

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(भुइयाँदीन)
विशेष सचिव ।

संख्या–1/3/96(1)–का–4–2003, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण ।
4. स्टाफ आफिसर,मुख्य सचिव ।
5. सचिव,विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(भुइयाँदीन)
विशेष सचिव